दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :1 मार्च, 2024

<u>वै.आ.(परि.न्या.) 71/2024</u>

अभिषेक गर्ग .....अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री शिखा कौशिक, अधिवक्ता।

बनाम

अवनि जैन ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: नीमो।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शेखर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक सुनवाई/ हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

<u>न्या. राजीव शेखर,</u> (मौखिक)

<u>सि.वि.आवे. 13013/2024</u>

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

2. आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

<u>वै.आ.(परि.न्या.) 71/2024 और सि.वि.आवे.13011-12/2024</u>

3. इस तात्कालिक अपील के *माध्यम से,* अपीलार्थी/पति अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (पश्चिम), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 03.11.2023 के आदेश को चुनौती देना चाहता है। पारिवारिक न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 [संक्षेप में, "एचएमए") की धारा 24 के तहत प्रत्यर्थी/पत्नी के आवेदन का निपटान कर दिया है।

4. परिवार न्यायालय ने प्रत्यर्थी/पत्नी को तलाक याचिका के अंतिम निपटान तक 11.07.2018 से उसके निर्वाह और आजीविका के लिए 75,000/- रूपए प्रति माह की दर से अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया है।

4.1 ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपीलार्थी/पति ने एचएमए की धारा 13 (1)(iक) के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की है।

5. अपीलार्थी/पति की ओर से पेश होने वाली विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिखा कौशिक का कहना है कि विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने स्वतंत्र रूप से अपने विचार का प्रयोग नहीं किया। सुश्री कौशिक का कहना है कि आक्षेपित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, दं.प्र.सं.) की धारा 125 के तहत स्थापित कार्यवाही में उसी न्यायाधीश द्वारा आदेशित रखरखाव के आदेश से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, सुश्री कौशिक का कहना है कि

अपीलार्थी/पति ने एक पुनरीक्षण कार्रवाई में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित आदेश को चुनौती दी है।

5.1 इसलिए, सुश्री कौशिक का निवेदन है कि यह अपील अपीलार्थी/पति के पुनरीक्षण कार्रवाई पर मुकदमा चलाने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए दायर की गई है।

6. हमने विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुशीलन किया है। परिवार न्यायालय ने अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी/पति प्रोत्साहन और बोनस को छोड़कर लगभग 14,40,000/- रूपए प्रति माह कमा रहा हैं।

6.1 स्वीकृत रूप से, यह तथ्य दिनांक 26.08.2023 पर दर्ज अपीलार्थी/पति की प्रतिपरीक्षा में सामने आया।

6.2 इस पहलू के आधार पर, यह सुश्री कौशिक का निवेदन है कि विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश अपीलार्थी/पति को उस स्थान पर होने वाले संबंधित खर्चों को ध्यान में रखने में विफल रहे जहां वह स्थित है।

7. हमें सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी/पति सिंगापुर में रहता है।

8. हमारे अनुसार, भले ही हम सिंगापुर में अपीलार्थी/पति द्वारा किए जाने वाले खर्चों को ध्यान में रखें, फिर भी प्रत्यर्थी/पत्नी को 75,000/- प्रति माह की दर से दिया गया भरण-पोषण अनुचित नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के पैरा 7 में यह भी संकेत दिया

है कि किसी भी अन्य कार्यवाही में प्रत्यर्थी/पत्नी को दी गई राशि आक्षेपित आदेश के माध्यम से उसके द्वारा आदेशित भरण-पोषण के प्रति समायोजित होगी।

9. हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

10. तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

11. लंबित आवेदन भी समाप्त किए जाते है।

राजीव शेखर
(न्यायाधीश)

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

1 मार्च, 2024/ए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*